

The Manipur Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act, 2017.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री के. राधाकृष्णन जी ।

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Madam, I rise to object? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I introduce** the Bill.

12.07 hrs